**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर**

(युगल पीठ)

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक एवं माननीय न्यायाधीश श्री डी.आर. देशमुख

**रिट याचिका क्रमांक 2820/2005**

**आदेश हेतु विचारार्थ रखा गया**

सही/–
मुख्य न्यायाधीश

**माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश**

**सही/–**
**दिलीप रावसाहब देशमुख**
**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु दिनांक 06/03/2006 को सूचिबद्ध किया गया

**सही/–**

**मुख्य न्यायाधीश**

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

## छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

**(युगल पीठ)**

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक एवं माननीय न्यायाधीश श्री डी.आर. देशमुख

**रिट याचिका क्रमांक 2820/2005**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>याचिकाकर्तागण</u>** :

1. ऋषि दीक्षित, पिता जी.एस. दीक्षित, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी बड़ा चौक, श्याम नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. राजेश परिहार, पिता श्री ओंकार सिंह परिहार, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ए–1 मैत्री विहार, अमलीदी रोड, न्यू पुरैना, रायपुर।

3. नटराज शर्मा, पिता आर.डी. शर्मा, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी बी–1/22 रोहिणी पुरम, रायपुर।

4. तरूणेश परिहार, पिता श्री ओंकार सिंह परिहार, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी श्याम नगर, निक्की प्लास्टिक के पास, रायपुर।

5. मनहरण यादव, पिता सुखराम यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी 65, समता कॉलोनी, रायपुर।

6. दिलहरण यादव, पिता सुखराम यादव, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी 65, समता कॉलोनी, रायपुर।

7. अनुपम राघव, पिता एस.एस.राघव, उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी एमआईजी–6 महावीर नगर, रायपुर।

**विरुद्ध**

**<u>उत्तरवादीगण</u>** :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी), डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

2. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

3. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

4. कलेक्टर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

5. कलेक्टर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

6. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

7. कलेक्टर, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)

8. कलेक्टर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

9. कलेक्टर, जांजगीर–चांपा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

10. कलेक्टर, सरगुजा, जिला सरगुजा (छ.ग.)

11. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

12. कलेक्टर, धमतरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

13. अमित सिंघल, पिता हुकुमचंद सिंघल, स्टेट बैंक के पीछे, धमतरी (छ.ग.) – समूह क्रमांक 1 की अनुज्ञप्ति, गंजपारा, जिला धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. रूपेश झंवर, पिता मदनलाल झंवर, शांति नगर, धमतरी (छ.ग.)– समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, गोकुलपुर, जिला धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

15. सुरेन्द्र सिंह, पिता चन्द्रदेव सिंह, हाउसिंग बोर्ड भिलाई – समूह क्रमांक 4 की अनुज्ञप्ति, टिकरापारा, जिला–धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

16. मुखदेव सिंह, पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह, पारिजात कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 6 की अनुज्ञप्ति, कुरुद, जिला धमतरी ।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

17. ओंकार दास, पिता स्वर्गीय नारायण दास राठी, साजा, पोस्ट साजा ।
समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, कोंडापार जिला धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता –द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

18. रेखराम, पिता गुहेलराम साहू, ग्राम रूद्री, जिला. धमतरी– समूह क्रमांक 8 की अनुज्ञप्ति, भखारा, जिला धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

19. अनिल पाल. पिता केवल पाल, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर। समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, मगरलोड, जिला धमतरी।

नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

20. अरविन्द सिंह, पिता उपेन्द्र सिंह, रायपुर, रायपुर (छ.ग.) । समूह क्रमांक 5 की अनुज्ञप्ति, सहदेवपाली, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

21. सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, पिता रामरतन प्रसाद गुप्ता, ग्राम तिल्दा, पुरानी बी, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 6 की अनुज्ञप्ति, सारंगढ़, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

22. ब्रजेश सिंह, पिता शिवसेवक सिंह, कुम्हारपारा जगतपुर, डिमरापुर, सिटी कोतवाली, रायगढ़ (छ.ग.)। समूह क्रमांक 11 की अनुज्ञप्ति, बरमकेला, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

23. मुन्ना सिंह, पिता रामलगन सिंह, लोचन नगर, चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ.ग.)। समूह क्रमांक 14 की अनुज्ञप्ति, गरगोड़ा, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. शिव शंकर, पिता श्रीहरि लाल रनई, पटना, बैकुण्ठपुर, जिला. कोरिया (छ.ग.)– समूह क्रमांक 16 की अनुज्ञप्ति, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ ।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

25. प्रदीप गुप्ता पिता त्रिवेणी गुप्ता, आजाद नगर, गोदरीपारा, जिला मनेन्द्रगढ़ कोरिया (छ.ग.)– समूह क्रमांक 13 की अनुज्ञप्ति खरसिया, जिला रायगढ़ ।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

26. हिमांशु पंढर, पिता चैतन्य पंढर, कुम्हारपारा जगतपुर, डिमरापुर सिटी कोतवाली, रायगढ़ (छ.ग.)– समूह क्रमांक 15 की अनुज्ञप्ति, लैलूंगा, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

27. रवण कुमार तिवारी पिता रामनिवास तिवारी, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) । समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, घोड़ारी, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

28. अनिल कुमार गुप्ता, पिता राजकुमार गुप्ता, जोधपुर वार्ड, धमतरी (छ.ग.)। समूह क्रमांक 5 की अनुज्ञप्ति, भुरकौनी, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

29. बाबूलाल सतनामी, पिता मुन्नीलाल, परसदा, थाना खार, जिला रायपुर (छ.ग.)– समूह क्रमांक 6 की अनुज्ञप्ति, पिथौरा, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर (छ.ग.)

30. मदन यादव, पिता यदु यादव, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, बागबाहरा, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

31. दिली पलाई, पिता के.सी. पलाई, नेताजी चौक, कटोरा, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 8 की अनुज्ञप्ति, कोमाखान, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

32. शिवबाबू, पिता हरि प्रसाद, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 1 की अनुज्ञप्ति, सरकंडा, जिला बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

33. बब्बन रॉय, पिता टेमरी रॉय, राजेंद्र नगर, जनता कॉलोनी, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 2 की अनुज्ञप्ति, मुंगेली नाका, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. रामराज यादव, पिता विशेश्वर यादव, बुधवारी बाजार, शक्ति, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, कोटा, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

35. सुरेन्द्र जायसवाल, पिता बी.एन. जायसवाल, सिंगरोली, बैडेन जिला सीधी (म.प्र.) – समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, चिल्हाटी, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

36. राम इकबाल, पिता केशो यादव, सेक्टर–3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, सकरी, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

37. सियाराम यादव, पिता रामहिलावन यादव, पारिजात कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 14 की अनुज्ञप्ति, हिर्री, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

38. जनिल शर्मा, पिता भूदानी शर्मा, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 22 की अनुज्ञप्ति, चुचुहिया पारा, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

39. जितेन्द्र सिंह, पिता जगदीश सिंह, 15/262, चंदनिया पारा, नहर के किनारे, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा। समूह क्रमांक 1 की अनुज्ञप्ति बड़पारा, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

40. विनय प्रसाद गुप्ता, पिता विष्णु प्रसाद, 15/262, चंदनिया पारा, नहर के पास, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा। समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, पोसौर, जिला रायगढ़। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

41. सुरिस्त कुमार सिंह , पिता कैलाश सिंह, 15/262, चंदनिया पारा, नहर के पीछे, जांजगीर, जिला।जांजगीर–चांपा। समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, सूरजपुर जिला सरगुजा।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

42. भोलू सिंह, पिता जगदीश सिंह, 15/262, चंदनिया पारा, नहर के पीछे, जांजगीर, जिला।जांजगीर–चांपा। समूह क्रमांक 2 की अनुज्ञप्ति, हतबंध, महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

43. शिव कुमार यादव, पिता भोला यादव, 15/262, चंदनिया पारा, नहर के बाजु, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा। समूह क्रमांक 19 की अनुज्ञप्ति, तिफरा, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

44. सतेंद्र सिंह, पिता राम नारायण सिंह, 30, ब्लॉक बी, मकान क्रमांक 4, आरएसबी टावर, तार बहार, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 4, विजयपुर, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

45. अभय सिंह, पिता लक्ष्मी सिंह, 30, ब्लॉक–बी, मकान क्रमांक 4, आरएसबी टावर, तार बहार, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, गोदाम जिला रायगढ़।

46. धनेश सिंह, पिता. सुरेश सिंह, 30, ब्लॉक–बी, मकान क्रमांक 4, आरएसबी टॉवर, तार बहार, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 13 की अनुज्ञप्ति, चकरभाटा, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

47. कामता प्रसाद पिता स्व. गंगा प्रसाद चौबे, लोचन नगर, थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ.ग.)–समूह क्रमांक 2 की अनुज्ञप्ति, जालमपुर वार्ड, जिला धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

48 मुन्ना सिंह पिता स्व. राम लखन सिंह, लोचन नगर, थाना चक्रधर नगर, रायगढ़ (छ.ग.) समूह क्रमांक 14 की अनुज्ञप्ति, गरघोड़ा, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

49. रंजीत सिंह, पिता रामधीर सिंह, मकान क्रमांक 27/126, विनोबा नगर, बोईरदादर, रायगढ़ (छ.ग.) समूह क्रमांक 8 की अनुज्ञप्ति, जशपुर, जिला रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

50. राम प्रवेश सिंह, पिता स्वर्गीय हरद्वार सिंह, मकान क्रमांक 27/126, विनोबा नगर, बोईरदादर, रायगढ़ (छ.ग.)। अनुज्ञप्ति समूह क्रमांक 4, रायपुरा, जिला, रायपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

51. रमेश सिंह, पिता शारदा सिंह, 27, खोली, विकास नगर, बिलासपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, खमतराई, जिला रायपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. छोटे लाल सिंह, पिता जगरदेव सिंह, 27, खोली, विकास नगर, बिलासपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 8 की अनुज्ञप्ति, जरहागांव, जिला, बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

53. फूलचंद यादव, पिता रामखिलावन यादव, 27, खोली, विकास नगर, बिलासपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 18 की अनुज्ञप्ति, तखतपुर, जिला, बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

54. सुभाष सिंह, पिता श्रीराम सिंह, 27, खोली, विकास नगर, बिलासपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 20 की अनुज्ञप्ति, गोडखामी, जिला, बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

55. केसर सिंह, पिता भीमा सिंह, 27, खोली, विकास नगर, बिलासपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 21 की अनुज्ञप्ति, सिलदहा, जिला बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, राज्य छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)

56. बनवारी शुक्ला, पिता अवध नारायण शुक्ला, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 20 की अनुज्ञप्ति, कटगी, जिला रायपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

57. शिव बाबू, पिता हरि प्रसाद, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 1 की अनुज्ञप्ति, सरकंडा, जिला, बिलासपुर।

नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

58. राम इकबाल, पिता. केसो यादव, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, सकरी, जिला, बिलासपुर।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

59. जनिल शर्मा, पिता भूदानी शर्मा, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 22 की अनुज्ञप्ति, चुचुएल्या, जिला बिलासपुर ।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

60. संतोष कुमार सिंह, पिता मुद्रिका सिंह, मकान क्रमांक 190, प्रतापगंज, थाना – सारंगढ़, रायगढ़ (छ.ग.) – समूह क्रमांक 12 की अनुज्ञप्ति, बड़े लंघा, जिला, रायगढ़।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

61. विक्रम बिस्वाल, पिता राधा नाथ बिस्वाल, मकान क्रमांक 190, प्रतापगंज, थाना सारंगढ़, रायगढ़ (छ.ग.)।समूह क्रमांक 16 की अनुज्ञप्ति, सरसीवा, जिला रायपुर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

62. स्वर्ण कुमार तिवारी, पिता राम निवास तिवारी, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, घोरारी, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

63. मदन यादव, पिता यदु यादव, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, बागबाहरा, जिला महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

64. अनिल पाल, पिता केवल पाल, जी.ई. रोड, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, मागरलोड, जिला, धमतरी।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

65. अशोक लंका, पिता पुरेन्द्र लंका, 14/359, डबरा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 27 की अनुज्ञप्ति, भाटापारा, जिला, रायपुर ।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

66. मनीष उपाध्याय, पिता हृदय नारायण उपाध्याय, 14/359, डबरा 14/359, डबरा, जिला।जाजगीर–चांपा (छ.ग.) । समूह क्रमांक 11 की अनुज्ञप्ति, भवरपुर, जिला, महासमुंद।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

67. मिथलेश पासवान, पिता बटेश्वर पासवान, 10/610, मेमनपुल के पास, बैरियर चौक, चांपा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 31 की अनुज्ञप्ति, नयापारा, जिला, रायपुर। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

68. श्रीनिवास पांडे, पिता तेगरी पांडे, 10/610, मेमनपुल के पास, बैरियर चौक, चांपा (छ.ग.) – समूह क्रमांक 9 की अनुज्ञप्ति, सकरा, जिला, महासमुंद। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

69. राकेश चौबे, पिता राम मूर्ति चौबे, मकान क्रमांक 31/434, अरोड़ा इंटरप्राइजेज के सामने, दयालबंध, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 5 की अनुज्ञप्ति, लोरमी, जिला–बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

70. अनिल कुमार महापात्रा, पिता बली राम महापात्रा, मकान क्रमांक 31/434, अरोड़ा इंटरप्राइजेज के सामने, दयालबंध, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 24 की अनुज्ञप्ति, शनिचरी, जिला, बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

71. धर्मेंद्र कुमार सिंह, नंद लाल सिंह, मकान क्रमांक 31/434, अरोड़ा इंटरप्राइजेज के सामने, दयालीबांध, बिलासपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 25 की अनुज्ञप्ति, पेंड्रा, जिला–बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

72. जग्गू यादव, पिता देव चरण यादव, मकान क्रमांक 167, फॉरेस्ट नाका के पास, बोईर दादर, चक्रधर नगर, रायगढ़। समूह क्रमांक 6 की अनुज्ञप्ति, मल्हार, जिला बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

73. उदय सिंह, पिता. राम चैत्र सिंह, मकान क्रमांक 167, फारेस्ट नाका के पास, बोईर दादर, चक्रधर नगर, रायगढ़। समूह क्रमांक 10 की अनुज्ञप्ति, सीपत, जिला – बिलासपुर। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

74. विनोद सिंह, पिता शारदा सिंह, जमात मंदिर पारा, कवर्धा, समूह क्रमांक 3 की अनुज्ञप्ति, गुरियारी (छ.ग.)। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

75. रामप्रवेश सिंह, पिता स्वर्गीय हरिद्वार सिंह, द्वारा अरविंद साहू, मकान क्रमांक 27/126, विनोबा नगर, बोईरदादर, थाना चक्रधर नगर, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 4 की अनुज्ञप्ति, रायपुरा।

नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

76. धीरज कुमार सिंह, पिता सुरेश सिंह, बया, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 6 की अनुज्ञप्ति, पंडरी।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

77. रणबीर सिंह, पिता रामबिलास सिंह, डॉ. निगम के सामने, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 7 की अनुज्ञप्ति, मौदहापारा।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

78. संजय सिंह, पिता बैजनाथ सिंह, बया, रायपुर (छ.ग.) समूह क्रमांक 8 की अनुज्ञप्ति, नर्मदापारा। नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

79. रंजीत कुमार शुक्ला, पिता घेरू शुक्ला, कांदरी क्लब के पीछे, भावना नगर, थाना सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 12 की अनुज्ञप्ति, माना।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

80. विक्रम बिस्वाल, पिता राधानाथ बिस्वाल, गणपत लाल केडिया, मकान क्रमांक 190, प्रतापगंज, थाना सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)। समूह क्रमांक 16 की अनुज्ञप्ति, सरसीवा।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

81. ललिता प्रसाद गुप्ता पिता स्व. कर्मचंद साव, राजेश केंद्र समय, आदर्श लॉज, सदर बाजार, बलौदा बाजार, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 18 की अनुज्ञप्ति, बिलाईगढ़। नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

82. अखिलेश यादव पिता स्व. दीनानाथ यादव, आजाद नगर, गोदरीपारा, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)। समूह क्रमांक 19, घटमरवा की अनुज्ञप्ति।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

83. बनवारी शुक्ला पिता स्व. अवध नारायण शुक्ला, सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) – समूह क्रमांक 20 की अनुज्ञप्ति, कटगी ।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

84. नवनीत पाण्डेय, पिता बलीनाथ पाण्डेय, 5/12. बाजारपारा, बारीद्वार, तहसील सक्ती, जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 21 की अनुज्ञप्ति, बया।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

85. सरधा सिंह, पिता सरयू सिंह, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा (छ.ग.) – समूह

क्रमांक 25 की अनुज्ञप्ति, रसेरा।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

86. सुनील गुप्ता, पिता यमुना साहू, बिलाईगढ़, रायपुर (छ.ग.)। समूह क्रमांक 26 की अनुज्ञप्ति, सिमगा।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

87. अशोक लेंका, पिता पुरेन्द्र लेंका, मकान क्रमांक 14/359, डभरा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 27 की अनुज्ञप्ति, भाटापारा।
नोटिस तामील हेतु पता–द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

88. पवन सिंह, पिता केदार सिंह, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा (छ.ग.)। समूह क्रमांक 28 की अनुज्ञप्ति, फिंगेश्वर।
नोटिस तामील हेतु पता– द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

89 मिथलेश पासवान, पिता बटेश्वर पासवान, 10/610, मेमन पूल के पास, बैरियर चौक, चांपा (छ.ग.) – समूह क्रमांक 31 की अनुज्ञप्ति, नवापारा।
नोटिस तामील हेतु पता – द्वारा आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थिति :</u> याचिकाकर्तागण की ओर से श्री पी. दिवाकर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री पी. आर. पदातंकर, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 की ओर से श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित श्री उत्कर्ष वर्मा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 13, 14, 18, 69 तथा 70 की ओर से श्री सोमनाथ वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 15, 19 तथा 21 की ओर से श्री प्रतीक शर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 23, 24, 25, 26 तथा 48 की ओर से श्री वी.जी. तामस्कर, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 41, 47, 60, 82, 84 तथा 86 की ओर से श्री पी.के.सी. तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शशिभूषण, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 27, 28, 54 और 62 की ओर से श्री वी.आर. तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 34, 49 और 43 की ओर से श्री अखिल मिश्रा और श्री विवेक श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 31, 42, 61, 66, 68 और 80 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 29 और 63 की ओर से श्री विष्णु कोष्टा और श्री एन.पी. कोष्टा, विद्वान अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 51, 52, 53 और 55 की ओर से कु. समता जैन, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 20,22, 33, 65 और 87 की ओर से श्री अभिषेक सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 32, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 59, 74, 83, 85 और 88 की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 67, 76, 77, 78, 81 और 89 की ओर से श्री बी.पी. शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 35 की ओर से श्री अली असगर, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 49, 50 और 73 की ओर से श्री राकेश तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 44, 45, 70 और 71 की ओर से श्रीमती मल्लिका बल, विद्वान अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

## आदेश
( दिनांक 06.03.2006 को पारित )

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक द्वारा पारित किया गया:

वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष शुरू की गई रिट कार्यवाही का परिणाम है और बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंची, जिसका समापन **अशोक लंका और एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित और एक अन्य**[1] के प्रकरण में निर्णय के रूप में हुआ। इससे पहले, एक व्यक्ति, जितेन्द्र पाली ने इस न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में रिट याचिका क्रमांक 706/2005 प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता ने यहां रिट याचिका क्रमांक 956/2005 भी प्रस्तुत की थी। मूल रूप से, उक्त रिट याचिकाओं में चयन प्रक्रिया में किए गए परिवर्तनों, अर्थात् मैनुअल से कंप्यूटर में किए गए परिवर्तनों की वैधता पर प्रश्न उठाया गया था, लेकिन, रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दिनांक 09/03/2005 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि राज्य द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ–साथ, इस आधार पर दुषित थी कि आवेदकों द्वारा कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु अनुज्ञाप्ति के व्यवस्थापन नियम, 2002 (संक्षेप में नियम) के नियम 9 द्वारा अनिवार्य रूप से अपेक्षित था, जिसे दिनांक 22/03/2005 से संशोधित किया गया था। दिनांक 22/03/2005 के संशोधन के बाद राज्य की ओर

1 2005 AIR SCW 2676

से इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रतिवाद यह था कि नियमों का नियम 9 प्रकृति में निर्देशात्मक था और किसी भी स्थिति में, चूंकि उक्त नियम को नियमों के भूतलक्षी संशोधन के संबंध में राज्य की शक्तियों के अनुरूप संशोधित किया गया था, इसलिए चयन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आई।

(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (सं. II, 1915) (संक्षेप में 'अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद इस न्यायालय की राय थी कि राज्य को कंप्यूटर के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने का अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय ने यह राय दी कि जिला स्तरीय समितियों ने यह पता लगाने के लिए कोई भी जाँच नहीं की कि संबंधित आवेदक नियम 9 में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। इस न्यायालय ने आगे यह भी राय दी कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही आवेदकों द्वारा ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करना आवश्यक था ताकि अधिकारी नियमों के नियम 9 में निर्दिष्ट विभिन्न पात्रता शर्तों की पूर्ति के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर सकें। इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.03.2005 द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 956/2005 का निराकरण करते हुए निर्देश दिया कि वर्तमान नियमों के अनुसार एक नया चयन किया जाए। इस न्यायालय ने आबकारी नीति पर व्यापक चुनौती को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि आबकारी आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 14.02.2005 का परिपत्र नियम 9 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में नियमों के विपरीत था। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की नियम 9 (ग) की आवश्यकता को छोड़कर उचित तरीके से जांच नहीं की गई थी, अर्थात क्या आवेदक पिछली सूची में थे या अन्यथा पात्र नहीं थे। यह मानते हुए कि राज्य द्वारा एकत्र किए गए 77 करोड़ तक के आवेदन शुल्क को वापस करने की आवश्यकता नहीं है, इस न्यायालय ने संबंधित जिला स्तरीय समितियों द्वारा लगभग 2.65 लाख आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया ताकि वे संतुष्ट हो सकें कि सभी पात्रता आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, जिसके बाद ही लॉटरी का ड्रा हो सकता है। हालाँकि, इस न्यायालय ने निर्णय में बताए गए कारणों से नए आवेदनों को आमंत्रित करने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन राज्य को मदिरा अनुज्ञप्ति देने के लिए अभ्यर्थी का चयन करने से पहले शपथ-पत्रों के माध्यम से आवेदकों से आवश्यक जानकारी पर विचार करने का आदेश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) छत्तीसगढ़ राज्य तथा कई चयनित अभ्यर्थियों ने इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। श्री अशोक लंका, जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका में हस्तक्षेपकर्ता थे, ने भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे सिविल अपील क्रमांक 3279/2005 (एसएलपी (सी) क्रमांक 11320/2005 से उद्भूत) के रूप में पंजीकृत किया गया। आदेश दिनांक 08.04.2005 के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पर इस शर्त के अधीन रोक लगा दी कि यदि सरकार अंतरिम व्यवस्था के रूप में सफल बोलीदाताओं को संविदा प्रदान करना चाहती है, तो वह आवेदनों पर विचार करने के लिए पहले से गठित समिति की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा करेगी। उक्त आदेश राज्य सरकार को दिनांक 09.04.2005 को प्रेषित किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच दिनांक 10.04.2005 और 11.04.2005 को की गई तथा तथाकथित सफल बोलीदाताओं को दिनांक 11.04.2005 और 12.04.2005 को अनुज्ञप्ति प्रदान किए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक लंका**[1] (पूर्वोक्त) में दिनांक 11.05.2005 को अपने सामान्य निर्णय द्वारा उन सभी अपीलों का निराकरण किया। जहां तक संविधिक नियमों की अनिवार्य प्रकृति और राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए इसके उल्लंघन का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों का निराकरण करते हुए राज्य सरकार और उसके प्राधिकारियों को कुछ निर्देश जारी किए हैं। निर्णय के कंडिका 92 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :

i) सदस्य–सचिव सफल अभ्यर्थियों के सभी आवेदनों की नए सिरे से जांच करेंगे और तिथि से एक सप्ताह के भीतर एक सारांश प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

ii) आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप के बावजूद, चयनित अभ्यर्थियों में से प्रत्येक को एक समुचित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो नियम 9 की आवश्यकता के सख्त अनुपालन में होगा।

iii) ऐसा शपथ–पत्र संबंधित समितियों के समक्ष तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसकी विषय–वस्तु का सत्यापन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6, नियम 15 के अनुसार किया जाएगा। उक्त शपथ–पत्रों की समिति द्वारा जांच की जाएगी ताकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि क्या आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और अधिनियम और नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अन्यथा उपयुक्त हैं।

iv) रिट याचिकाकर्ता या परिक्षेत्र का कोई अन्य व्यक्ति उक्त समिति के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि चयनित अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं या अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से वंचित हैं या अन्यथा अनुपयुक्त हैं।

v) ऐसी आपत्तियाँ तिथि से दो सप्ताह के भीतर भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। समिति उक्त आपत्तियों पर विचार कर सकती है और यदि आवश्यक हो, तो चयनित अभ्यर्थियों से आगे या बेहतर विवरण मांग सकती है ताकि वे उनकी पात्रता आदि के बारे में स्चयं को संतुष्ट कर सकें।

vi) संबंधित जिला स्तरीय समितियाँ आवेदकों द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों और अन्य दस्तावेजों का कड़ाई से सत्यापन और जांच करेंगी ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके विवेक के आधार पर संविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

vii) समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से यह देखने के लिए उत्तरदायी हैं कि सभी संविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। वे अभ्यर्थियों की पात्रता और उपयुक्तता के संबंध में संविधिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करेंगे।

viii) समिति द्वारा उपर्युक्त कार्य एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश के तहत या पहले आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया कोई शपथ-पत्र गलत पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

ix) प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक, जिनके क्षेत्राधिकार में चयनित अभ्यर्थी सामान्यतः निवास करते हैं, चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त तथा अन्य संबंधित विवरणों का सत्यापन करेंगे, तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए उनकी पात्रता/उपयुक्तता की जांच करेंगे तथा दिनांक 12.06.2005 तक समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार होगी। दिनांक 12.06.2005 तक चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करते समय, वह प्रतिवेदन की एक प्रति समिति के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

x) हम राज्य के मुख्य सचिव तथा आबकारी आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वे विधि के अनुसार सख्ती से कार्य करें तथा जांच समितियों के कामकाज की निगरानी करें।

xi) यदि राज्य तथा आबकारी आयुक्त को समिति के सदस्यों सहित किसी भी अधिकारी की ओर से कदाचार का पता चलता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

xii) इस बीच, चयनित अभ्यर्थी अपने पक्ष में दिए गए अनुज्ञप्ति के अनुसार मदिरा का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यह इस आदेश तथा छानबीन समिति के निर्णय के अधीन होगा।

(5) यह रिट याचिका ऋषि दीक्षित द्वारा प्रस्तुत की गई है, वही याचिकाकर्ता जिन्होंने पहले इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 956/2005 प्रस्तुत की थी, तथा छह अन्य याचिकाकर्ता भी थे। याचिकाकर्ता क्रमांक 1, ऋषि दीक्षित, मदिरा का व्यापारी है तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से 7, प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण को दिए गए अनुज्ञप्तियों के आक्षेपकर्ता हैं। याचिकाकर्तागण की शिकायत है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला स्तरीय समितियों, मुख्य गोपनीय और राज्य के आबकारी आयुक्त को पात्रता की शर्तों के संबंध में नियमों का सख्ती से पालन करने तथा अभ्यर्थियों की पात्रता के विषय में जांच करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने नियमों के अनिवार्य नियम 9 और 11 तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पुनः घोर उल्लंघन कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उपरोक्त आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है तथा निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:

7.1 कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण और जिला समितियों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और संविधिक नियमों के पालन के संबंध में संपूर्ण अभिलेख तथा उनके पास उपलब्ध अन्य सभी संबंधित और पूर्ण अभिलेख मंगाने की कृपा करे, जिससे चयनित अभ्यर्थियों के चयन की पुष्टि हो सके।

7.2 उत्तरवादीगण 1 से 12 को निर्देश दिया जाए कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित के प्रकरण में दिए गए अनिवार्य निर्देशों के अनुपालन के संबंध में माननीय न्यायालय को संतुष्ट करें।

7.3 कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण 13 से 89 के संपूर्ण चयन को रद्द करने और निष्प्रभावी करने तथा उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करके अस्थायी अनुज्ञप्ति को भी रद्द करने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की कृपा करे।

7.4 कि माननीय न्यायालय उत्तरवादी 1 से 12 को विधि, नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चयन करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की कृपा करे।

7.5 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए उत्तरवादी 2 से 12 के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए।

7.6 उत्तरवादीगण को याचिकाकर्तागण को अनुकरणीय व्यय प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्तागण को कोई अन्य अनुतोष भी दिया जाये जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

8. <u>अंतरिम अनुतोष:</u>

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्तागण द्वारा यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 को अपनी मदिरा की दुकानें/समूह चलाने से रोका जाए। उत्तरवादी 1 से 12 को उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 के अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया जाए। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि वे उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 की दुकानें विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद अन्य व्यक्तियों को आवंटित करें।

(7) यह रिट याचिका दिनांक 28.06.2005 को प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय ने दिनांक 05.08.2005 को नोटिस (नया नियम) जारी किया। चूंकि निजी उत्तरवादीगण सहित उत्तरवादीगण की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्तरवादीगण को नोटिस की तामील में अत्यंत समय लग गया। इस न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद दिनांक 04.01.2006 को नियम जारी किया और अंत में उत्तरवादीगण को अपने जवाबदावा/कथन प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। दिनांक 13.02.2006 को श्री प्रशांत मिश्रा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के अनुरोध पर, राज्य सरकार और उसके प्राधिकारियों की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए समय एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। उसी दिन, न्यायालय ने याचिकाकर्तागण द्वारा इस रिट याचिका पर इस आधार पर सुनवाई करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया कि प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण को दिए गए

अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2006 को आबकारी वर्ष की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएंगे, तथा रिट याचिका को अंतिम सुनवाई और निराकरण के लिए दिनांक 27.02.2006 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

(8) रिट याचिका का विरोध आधिकारिक उत्तरवादी 1 से 12 द्वारा जवाबदावा/आपत्ति विवरण प्रस्तुत करके किया गया है। उत्तरवादी निजी उत्तरवादीगण में से केवल उत्तरवादी क्रमांक 20, 22, 33, 65 और 85, उत्तरवादी क्रमांक 31, 61, 66, 68 और 80, तथा उत्तरवादी क्रमांक 13, 14, 18, 69 और 79 की ओर से जवाबदावा/आपत्ति विवरण प्रस्तुत किया गया है। शेष उत्तरवादीगण ने जवाबदावा/आपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

(9) आधिकारिक उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 द्वारा याचिकाकर्तागण के आरोपों का खंडन करते हुए प्रस्तुत जवाबदावे में, यह कहा गया है: कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2005 को निर्णय दिए जाने के बाद, आबकारी आयुक्त ने दिनांक 14.05.2005 को निर्देश (अनुलग्नक–आर/2) जारी किए जो सभी कलेक्टरों/सहायक आयुक्त (आबकारी)/जिला आबकारी अधिकारियों को संबोधित थे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का तत्काल पालन करें और आवेदनों की जांच करने और प्रत्येक सफल आवेदक से निर्धारित प्रारुप में शपथ–पत्र प्राप्त करके पात्रता की शर्तों को सत्यापित करने के तुरंत बाद जिला स्तरीय समितियों की बैठक बुलाएं, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2005 को दिए गए अंतरिम आदेश के आधार पर उक्त तिथि को अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य कर रहे थे। आबकारी आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 16.05.2005 (अनुलग्नक–आर/3) के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य को अनुरोध किया कि वे सफल आवेदकों की चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, अर्थात 12 जून 2005 तक प्रस्तुत करें। दिनांक 16.05.2005 को आबकारी आयुक्त ने सहायक आयुक्त (आबकारी) और जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। आबकारी आयुक्त ने पत्र दिनांक 26.05.2005 (अनुलग्नक–आर/4) के द्वारा अन्य राज्यों के संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षकों से उन प्रकरणों में जहां सफल आवेदकों ने अपना स्थायी निवास दर्शाया है, चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त के बारे में प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया और वे प्रतिवेदन संबंधित जिलों के आबकारी अधिकारियों को प्राप्त हुईं। दिनांक 26.05.2005 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों, सहायक आयुक्त (आबकारी), जिला आबकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारियों की बैठक बुलाई और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के चरण का जायजा लिया और वे अधिकारियों द्वारा दिये गये अनुपालन प्रतिवेदन से संतुष्ट थे। दिनांक 01.06.2005 के सूचना (अनुलग्नक–आर/6) के माध्यम से, प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को सफल आवेदकों की चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन सीधे जिला स्तरीय समिति को भेजने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 06.06.2005 को सरकार के मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के संबंध में कलेक्टरों, सहायक आयुक्त (आबकारी) और जिला आबकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिर से बातचीत की। सरकार के मुख्य सचिव ने अपने पत्र दिनांक 06.06.2005 द्वारा अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को अपने राज्यों में रहने वाले चयनित अभ्यर्थियों की चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन 12 जून 2005 तक भेजने का अनुरोध किया था। आबकारी आयुक्त ने दिनांक 07.06.2005 को पत्र (अनुलग्नक–आर/8) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक से फिर अनुरोध किया कि वे सभी पुलिस अधीक्षकों को 12 जून 2005 तक चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दें। तदनुसार, 12 जून 2005 तक जिला स्तरीय समितियों के कार्यालय में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुई। अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2005 को सरकार के मुख्य सचिव को प्रस्तुत की गई। संक्षेप में, आधिकारिक उत्तरवादीगण का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का काफी हद तक अनुपालन किया गया है अन्य प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 की आक्षेपित कार्यवाहियों का बचाव आधिकारिक उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाहियों के समान ही किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) रिट याचिका की अंतिम सुनवाई 27 और 28 फरवरी 2006 को हुई। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. दिवाकर ने याचिकाकर्तागण के तर्क इस प्रकार प्रस्तुत कियेः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिला स्तरीय समितियों, छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव और राज्य के आबकारी आयुक्त को पात्रता की शर्तों के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन करने और अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उत्तरवादी 1 से 12 ने नियमों के अनिवार्य नियम 9 और 11 के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का एक बार फिर घोर उल्लंघन किया है। निर्देश क्रमांक (iii) का पालन नहीं किया गया है क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों के शपथ–पत्र नियम 9 की आवश्यकता के कड़ाई से अनुपालन में नहीं हैं। न तो नियम 9 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र दिया गया है और न ही पात्रता मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समिति द्वारा उचित तरीके से जांच की गई है। जैसा कि खंड (iv) और (v) में अनुमति दी गई है, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ऋषि दीक्षित ने प्रत्येक

जिले के जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष एक व्यापक आपत्ति (अनुलग्नक–पी/7) प्रस्तुत की, जिसमें फर्जी व्यक्तियों का विवरण और तथाकथित चयनित अभ्यर्थियों के मिथ्या/अधूरे पते दिए गए और उक्त आपत्ति की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजी गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विस्तृत जांच और छानबीन करने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 2 राजेश परिहार ने भी महासमुंद के पांच समूहों अर्थात् समूह क्रमांक 3, 5, 6, 7 और 8 के संबंध में दिनांक 25/05/2005 को जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद के समक्ष आपत्ति विवरण (अनुलग्नक–पी/12) प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि दिए गए पतों पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता है तथा फर्जी नाम दिखाए गए हैं। याचिकाकर्ता क्रमांक 5 मनहरण यादव ने भी दिनांक 25/05/2005 को आपत्ति विवरण (अनुलग्नक–पी/16) प्रस्तुत किया। अनुलग्नक–पी/16 के जवाब में जिला आबकारी अधिकारी ने पत्र (अनुलग्नक–पी/17) दिनांक 27/05/2005 द्वारा याचिकाकर्ता क्रमांक 5 को अपने आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य के साथ दिनांक 31/05/2005 को कलेक्टर, महासमुंद के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता क्रमांक 5 ने अनुलग्नक–पी/17 के लिए अपना जवाबदावा (अनुलग्नक–पी/18) प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता क्रमांक 4 तरुणेश परिहार ने भी दिनांक 25/05/2005 को आपत्ति विवरण (अनुलग्नक–पी/19) प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी आपत्ति पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 नटराज शर्मा ने भी दिनांक 25/05/2005 को आपत्ति विवरण (अनुलग्नक–पी/20) प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर बिलासपुर, आबकारी विभाग और समिति ने याचिकाकर्ता क्रमांक 3 की आपत्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उचित तरीके से विचार नहीं किया। याचिकाकर्ता क्रमांक 4 ने भी बिलासपुर के संबंध में आपत्ति विवरण प्रस्तुत किया था। बिलासपुर के संबंध में दिनेश सिंह, दिलहरण यादव, मनहरण यादव और अनुपम राघव ने भी आपत्ति विवरण (अनुलग्नक–पी/21) प्रस्तुत किया था। धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ और अन्य जिलों के संबंध में भी आपत्तियां उठाई गई थीं, लेकिन राज्य सरकार के मुख्य सचिव, आबकारी आयुक्त और जिला कलेक्टरों ने उन आक्षेपों पर बिल्कुल भी उस तरह से विचार नहीं किया, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें विचार करने के निर्देश दिए थे। श्री पी. दिवाकर ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्तागण और अन्य आक्षेपकर्ताओं ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, सरकार और समिति का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक व्यक्तिगत प्रकरण की जांच करें ताकि पता लगाया जा सके कि चयनित अभ्यर्थियों ने नियम 9 और 11 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं और आक्षेपकर्ताओं को उनके समक्ष अपने आरोप प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार और समितियों ने गलत तरीके से आक्षेपकर्ताओं पर जिम्मेदारी डाल दी और आक्षेपकर्ताओं से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उनके आरोप, अक्सर नकारात्मक आरोप साबित करने के लिए कहा गया। उदाहरण के लिए, यदि आक्षेपकर्ता ने यह आपत्ति उठाई है कि चयनित अभ्यर्थी बी–स्थान का निवासी नहीं है, तो समिति ने आक्षेपकर्ता से यह साबित करने के लिए कहा कि एक्स बी–स्थान का निवासी नहीं है, दूसरे शब्दों में, आक्षेपकर्ता से नकारात्मक आरोप साबित करने के लिए कहा गया। श्री दिवाकर ने कहा कि पूरी निष्पक्षता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, समितियों को आपत्तियों पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि आपत्ति विवरणों में जो कहा गया है वह सही है या गलत। श्री दिवाकर ने अनुलग्नक–पी/26, याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के दिनांक 31.05.2005 के कथित बयान की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि जिला आबकारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। श्री दिवाकर ने यह भी कहा कि रिट याचिका के ज्ञापन में याचिकाकर्तागण द्वारा बहुत विस्तार से क्या कहा गया है और साथ ही उत्तरवादी 1 से 12 की वापसी पर याचिकाकर्तागण द्वारा दिए गए जवाब में भी बताया गया है, ताकि नियमों के नियम 9 और 11 के प्रावधानों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों की जांच करने और उनमें चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये कथनों को सत्यापित करने में समितियों द्वारा की गई कई कृत्यों और लोपों को उजागर किया जा सके। श्री दिवाकर का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने जानबूझकर चयनित अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए लापरवाही से जांच की है, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए अनुज्ञप्ति विधि की दृष्टि में यथावत नहीं रह सकते और यदि वे यथावत रहते हैं तो इससे सार्वजनिक संकट होगा और सार्वजनिक हित को हानि पहुंचेगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) राज्य सरकार और उसके अधिकारियों – उत्तरवादी 1 से 12 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने सबसे पहले यह तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (iv) के अनुसार, यह साबित करने का भार कि चयनित अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं या उन्हें अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से वंचित किया गया है या अन्यथा वे इसके लिए अनुपयुक्त हैं, आक्षेपकर्ताओं पर है और इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 की ओर से इस बात पर जोर देने में कुछ भी अनुचित नहीं था कि आक्षेपकर्ताओं को उनके द्वारा आपत्ति विवरण में लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता और अन्य आक्षेपकर्ता पात्रता मानदंडों के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता उत्तरवादीगण 1 से 12 के जवाबदावों में कही गई बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित

करते है और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, राज्य सरकार और उसके अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता मानदंडों को सत्यापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सभी कदम उठाए हैं और व्यक्तिगत रूप से चयनित अभ्यर्थियों के प्रकरण की गहन जांच करने और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद कि वे निर्धारित पात्रता मानदंड रखते हैं, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाते हैं। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए अनुज्ञप्ति में हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रकरण बनाने में विफल रहे हैं।

(12) उत्तरवादी क्रमांक 41, 47, 60, 82, 84, 86 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 60 को छोड़कर याचिकाकर्तागण–आक्षेपकर्ताओं द्वारा उनके पक्षकारों के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोप लगाए गए हैं। श्री तिवारी का कहना है कि उनके पक्षकारों ने अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु सभी पात्रता मानदंड पूरे किए हैं। श्री तिवारी ने आगे तर्क दिया कि नियम 9 के उपनियम (3) के हिंदी संस्करण में यह निर्धारित नहीं है कि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के परिवार के सदस्यों का भी नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए और उनका कोई आपराधिक इतिहास या आपराधिक पृष्टभूमि नहीं होना चाहिए और ऐसा निर्देश केवल नियम 9 के उपनियम (3) के अंग्रेजी संस्करण में ही मिलता है और चूंकि दोनों संस्करणों में अंतर है, इसलिए नियम का हिंदी संस्करण ही मान्य होना चाहिए। श्री तिवारी ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के परिवार के सदस्यों का दूषित नैतिक चरित्र या आपराधिक इतिहास या आपराधिक पृष्टभूमि आवेदक को अनुज्ञप्ति देने से इनकार करने का वैध और उचित आधार नहीं हो सकता है, यदि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसका कोई आपराधिक इतिहास या आपराधिक पृष्टभूमि नहीं है।

(13) श्री बी.पी. शर्मा उत्तरवादी क्रमांक 67, 76, 77, 78, 81 और 89 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्तागण को समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि चयनित अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, जिससे उन्हें वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिलता है। श्री बी.पी. शर्मा के अनुसार, याचिकाकर्ता केवल पिछली रिट कार्यवाही में स्पष्टीकरण या समुचित आदेश मांग सकता है वह भी उक्त रिट याचिका को पुनः सुनवाई के लिए उचित कदम उठाने के बाद अर्थात् रिट याचिका क्रमांक 956/2005, जिसका निराकरण इस न्यायालय की युगलपीठ ने दिनांक 31.03.2005 को किया था। श्री शर्मा का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लिए उत्तरवादी क्रमांक 2 से 12 के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए रिट याचिका के कंडिका 7.5 में निहित प्रार्थना भ्रामक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही न्यायालय यह मान ले कि याचिकाकर्तागण द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित हैं।

(14) उत्तरवादी क्रमांक 23, 24, 25, 26 और 48 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी. तामस्कर का तर्क है कि रिट याचिका के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र उचित नहीं है। उनका तर्क है कि शपथ–पत्र में याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने यह नहीं बताया है कि रिट याचिका में कौन से प्रकथन व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हैं और कौन से प्रकथन उसके द्वारा प्राप्त अभिलेख और सूचना पर आधारित हैं और इसलिए, निर्णय लेने के लिए याचिका के प्रकथनों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(15) उत्तरवादी क्रमांक 31, 42, 61, 66, 68 और 80 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने उत्प्रेषण रिट या परमादेश रिट जारी करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) उत्तरवादी क्रमांक 20, 22, 33, 65 और 67 के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण और अन्य आक्षेपकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि चयनित अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता मानदंड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेखों से यह पता चलता है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चयनित अभ्यर्थियों को अनुज्ञप्ति देने से पहले सभी औपचारिकताओं का सख्ती से पालन किया है। श्री अभिषेक सिन्हा ने यह भी तर्क दिया कि केवल रायपुर के निवासी याचिकाकर्तागण ने ही पूरे राज्य में अनुज्ञप्ति देने पर आपत्ति जताई है और यह उनकी ओर से सद्भाव की कमी को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण द्वारा दावा किये गये बहुप्रयोजनीय अनुतोष प्रदान नहीं की जा सकती।

(17) उत्तरवादी क्रमांक 16, 32, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 59, 74, 83, 85 और 88 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 59 को छोड़कर उनके पक्षकारों के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी दिवाकर के इस तर्क का समर्थन करते हुए कि महासमुंद जिले के प्रकरण में, जिला कलेक्टर को स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जांच करनी

चाहिए थी न कि महासमुंद के अतिरिक्त कलेक्टर को, जैसा कि अनुलग्नक–पी/15 में दर्शाया गया है, श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 16 के अंतर्गत कलेक्टर की परिभाषा में तथा **कौशल प्रसाद कश्यप बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अतिरिक्त कलेक्टर भी सम्मलित हैं। नियम 9 के उपनियम (3) के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच अंतर का उल्लेख करते हुए, श्री राजीव श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अनुसार हिंदी राज्य की राजभाषा है और इसलिए नियम 9 के उपनियम (3) के हिंदी संस्करण में जो कहा गया है, उसे ही सही माना जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **राम लखन रावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[3] तथा **सत्यभान सिंह जादौन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य**[4] में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया।

(18) उत्तरवादी क्रमांक 13, 14, 18, 69 और 70 के विद्वान अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा, उत्तरवादी क्रमांक 15, 19 और 21 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा, उत्तरवादी क्रमांक 27, 28, 54, 62 के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक रंजन तिवारी, उत्तरवादी क्रमांक 34, 43, 49 के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा, उत्तरवादी क्रमांक 29 और 63 के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा, उत्तरवादी क्रमांक 52, 53 और 55 के विद्वान अधिवक्ता कु. समता जैन, उत्तरवादी क्रमांक 35 के विद्वान अधिवक्ता श्री अली असगर, उत्तरवादी क्रमांक 49, 50 और 73 के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी और उत्तरवादी क्रमांक 44, 45, 70 और 71 के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मल्लिका बल ने विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा के तर्कों का अनुसरण किया है।

(19) जवाबदावे में, याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. दिवाकर ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा **मेसर्स गोविंदराम रामप्रसाद बनाम निर्धारण प्राधिकारी (विक्रय कर) व एक अन्य**[5] के प्रकरण में दिए गए निर्णयों और **जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (III) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और अन्य**[6] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय और **श्रीमती राम रति और अन्य बनाम ग्राम समाज, जेहवा और अन्य**[7] मामले में इलाहाबाद उच्च

2 1999 (1) MPLJ 455
3 2000 (2) MPLJ 176
4 1997 (2) MPLJ 487
5 AIR 1958 MP 16
6 AIR 1962 All. 240
7 AIR 1974 All. 106

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ और **जेठानंद बनाम नगर पालिका, मंदसौर**[8] मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि यदि हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में अंतर है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य किया जाना चाहिए तथा इसके विपरीत उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय विधि के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं। वैकल्पिक रूप से, श्री पी. दिवाकर यह तर्क देते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश नियम 9 के उप–नियम (3) के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित हैं न कि हिंदी संस्करण पर और, इसलिए, यदि राज्य का न्यायालय के समक्ष रखा गया दृष्टिकोण सही है, तो सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही निर्देशों में संशोधन की मांग करनी चाहिए थी। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश नियम 9 के उप–नियम (3) के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित हैं, श्री दिवाकर ने इस न्यायालय के युगलपीठ द्वारा अपने निर्णय में उद्धृत नियम 9 और **अशोक लंका**[1] (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कंडिका 9 और 49 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(20) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हम इस सुविचारित मत पर पहुंचे हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने **अशोक लंका एवं एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य**[1] (पूर्वोक्त) प्रकरण में निजी उत्तरवादीगण को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से यह पता चलता है कि पुलिस प्राधिकारियों ने नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के परिवार के सदस्यों की आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा आपराधिक इतिहास का सत्यापन नहीं किया है। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 के जवाबदावे के पृष्ठ क्रमांक 439 पर राम प्रकाश जायसवाल के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाण पत्र के अनुसार, उक्त राम प्रकाश जायसवाल पिछले आठ वर्षों से परशुराम वार्ड, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर में निवास कर रहे हैं। उक्त प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद भाटापारा, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद द्वारा जारी किया गया है, तथा यह बताना आवश्यक है कि उनके पास ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक प्राधिकार नहीं है। निवास प्रमाण पत्र विहित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना है। इस संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है। जवाबदावे के पृष्ठ क्रमांक 443 पर राजू ध्रुव के संबंध में प्रमाण पत्र उप सरपंच, ग्राम पंचायत, कनकी द्वारा जारी किया गया है। यहां भी उस व्यक्ति के पास ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। जवाबदावे के पृष्ठ 465 पर नवल किशोर सिंह के संबंध में वार्ड क्रमांक 31 इंदिरा नगर, बिलासपुर के पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ठ 469 पर गोविंद तिवारी के संबंध में कचरू साहू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ठ

8 1980 JLJ 494

470 पर भी ऐसा ही प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जवाबदावे के पृष्ट 480 पर खिलावन प्रसाद मानिकपुरी के संबंध में उप सरपंच, ग्राम पंचायत, कनकी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ट 485 पर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि प्रमाण पत्र का सूत्रधार कौन है। जवाबदावे के पृष्ट 489 पर विजय सिंह नाम के किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यहां भी अधिकारी का प्राधिकार स्पष्ट नहीं है। जवाबदावे के पृष्ट 490 पर मुकेश सिंह नाम के किसी व्यक्ति के पक्ष में पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ट 494 पर अशोक साहू के पक्ष में परसदा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ट 498 पर रमेश यादव के पक्ष में पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह जवाबदावे के पृष्ट 500 पर रमाकांत गुप्ता के पक्ष में पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र विभिन्न स्थानीय निकायों के अक्षम और अनधिकृत व्यक्तियों/अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं और ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 को चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(21) इसके अलावा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जवाबदावे के पृष्ट 559 पर, सत्येंद्र सिंह के संबंध में, जिसे समूह क्रमांक 4, बीजापुर, जिला रायगढ़ से दिया गया है, पुलिस प्राधिकारी द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें उक्त सत्येंद्र सिंह का पता ग्राम करहरा, पोस्ट जयपुर, पुलिस थाना माली, जिला औरंगाबाद दर्शाया गया है, जबकि जवाबदावे के पृष्ट 562 पर, पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा कलेक्टर, रायगढ़ को संबोधित पत्र में, उन्हें ग्राम माली, पुलिस थाना नबीनगर, औरंगाबाद का स्थायी निवासी बताया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जवाबदावे के पृष्ट 563 पर, बिलासपुर से सत्येंद्र सिंह के पक्ष में जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो प्रमाणित करता है कि उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिसमें उनका पता ग्राम माली, पुलिस थाना नबीनगर, औरंगाबाद दर्शाया गया है और जवाबदावे के पृष्ट 560 पर कहा गया है कि सत्येंद्र सिंह पिछले एक वर्ष से बिलासपुर में रह रहे हैं। जवाबदावे के पृष्ट 574 पर, तहसीलदार, बिलासपुर द्वारा अभय सिंह के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस प्रमाण पत्र पर कोई राजस्व प्रकरण क्रमांक या तहसीलदार के कार्यालय की मुहर नहीं है, जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जवाबदावे के पृष्ट 575 पर, एक निजी व्यवसायी डॉ एच.एस. हुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें सत्येंद्र सिंह की उम्र 37 वर्ष और अभय सिंह की उम्र 27 वर्ष प्रमाणित की गई है, प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ट 585 पर, पुलिस थाना माली, जिला औरंगाबाद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है कि संतोष कुमार पिछले दो वर्षों से रायगढ़ का निवासी

है और मदिरा का कारोबार करता है। जवाबदावे के पृष्ठ 588 पर, नायब तहसीलदार, सारंगढ़ द्वारा संतोष कुमार सिंह के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संतोष कुमार सिंह पिछले तीन वर्षों से सारंगढ़ में रह रहा है। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि पुलिस थाना माली और नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में विसंगतियां हैं। जवाबदावे के पृष्ठ 595 पर, सरपंच, ग्राम पंचायत, बाथा द्वारा अरविंद सिंह के पक्ष में जारी किया गया आवासीय प्रमाण पत्र राजस्व प्रकरण क्रमांक या इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरपंच के अधिकार का उल्लेख किए बिना प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ठ 596 पर, अरविंद सिंह के पक्ष में दंत चिकित्सक डॉ. एनएल उपाध्याय द्वारा आयु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए इन प्रमाण पत्रों से पता चलता है कि ये दंत चिकित्सक के साथ–साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा भी जारी किए गए हैं। जवाबदावे के पृष्ठ 595 पर, यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अरविंद सिंह बया, कसडोल, जिला रायपुर में रह रहे हैं। जवाबदावे के पृष्ठ 693 पर कहा गया है कि वही व्यक्ति पिछले दो वर्षों से कहीं और रह रहा है। इस प्रकार, दोनों प्रमाण पत्रों में स्पष्ट विसंगतियां देखी जा सकती हैं। जवाबदावे के पृष्ठ 685 पर श्री अनिल पाल का पता ग्राम झपला, पो. झपला, जिला पलामू (झारखंड) दिया गया है, जबकि जवाबदावे के पृष्ठ 688 पर पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में उन्हें ग्राम बनकट, पुलिस थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू (झारखंड) का निवासी दर्शाया गया है। यहां भी, दोनों दस्तावेज सही नहीं हो सकते। जवाबदावे के पृष्ठ 745 पर, थाना प्रभारी, चिरमिरी द्वारा पुलिस अधीक्षक, कोरिया को संबोधित दिनांक 07/06/2005 का एक पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज में कहा गया है कि अनुज्ञप्तिधारी प्रदीप गुप्ता स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है और अमोलक सिंह भाटिया नामक मदिरा ठेकेदार के रूप में कार्य कर रहा है। उक्त प्रदीप गुप्ता को खरसिया, जिला रायगढ़ के लिए समूह क्रमांक 13 की अनुज्ञप्ति दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि श्री प्रदीप गुप्ता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे मदिरा के कारोबार का वित्तीय भार उठा सकें। जवाबदावे के पृष्ठ 751 पर पार्षद, नगर पालिका परिषद, चिरमिरी द्वारा उनके लेटर पैड में जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जवाबदावे के पृष्ठ 805 पर पुलिस अधीक्षक, थाना औरंगाबाद का कलेक्टर (आबकारी), महासमुंद को दिनांक 07/06/2005 का पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी अनिल कुमार गुप्ता उक्त पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में निवास नहीं करता है। फिर भी उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। जब थाना प्रभारी, चिरमिरी का उपरोक्त प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसे दूर करने के लिए औरंगाबाद पुलिस से एक अन्य प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें बताया गया कि उक्त अनिल कुमार गुप्ता ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुफ्फसिल, जिला औरंगाबाद का निवासी है, जिसे जवाबदावे के पृष्ठ 809 पर प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया है। जवाबदावे के पृष्ठ 1521 पर, जो नोटशीट का भाग है, कॉलम क्रमांक 8 में यह उल्लेखित है कि अनुज्ञप्तिधारी के पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जवाबदावे के पृष्ठ 1715, 1733, 1744, 1745, 1757 पर अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष में प्रस्तुत प्रमाण पत्र पार्षदों द्वारा जारी किए गए हैं और उन पर उत्तरवादीगण द्वारा कार्यवाही की गई है।

(22) इस प्रकार, यह अत्यंत स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जैसा कि उनसे अपेक्षित था और नियमों के आज्ञापक नियम 9 और 11 के अनुरूप नहीं थे। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऊपर उल्लेखित बहुत गंभीर और घातक खामियों का बचाव उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 द्वारा दिनांक 23.02.2006 की अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत करके किया गया है। हालांकि यह 23.02.2006 की तिथि का है, लेकिन इसे दिनांक 27.02.2006 को ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जब रिट याचिका अंतिम सुनवाई और निराकरण के लिए लाई गई थी। यह तथाकथित अतिरिक्त कथन रिट याचिकाओं के प्रतिउत्तर के अलावा और कुछ नहीं है। पहली बात तो यह है कि न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसे अभिवचन अस्वीकार्य हैं। दूसरे, यह ध्यान देने की जरूरत है कि अतिरिक्त जवाबदावे में उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 द्वारा की गई गंभीर खामियों को छिपाने के लिए असमर्थनीय बचाव प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कंडिका 5 में कहा गया है कि राम प्रकाश जायसवाल के संबंध में याचिकाकर्तागण के जवाबदावे के कंडिका 5 में लगाए गए आरोपों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वह रिट याचिका में उत्तरवादी हैं। यह कहने के बाद, यह कहा गया है कि उक्त राम प्रकाश जायसवाल ने अपने निवास के साक्ष्य के लिए चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किया है, लेकिन अत्यंत विचित्र बात है कि चालन अनुज्ञप्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी तरह, जवाबदावे के कंडिका 6 में याचिकाकर्तागण द्वारा अधिरोपित आरोपों को पूरा करते हुए, यह कहा गया है कि चूंकि मेसर्स खिलावन प्रसाद मानिकपुरी, विजय सिंह, मुकेश सिंह अशोक साहू, रमेश यादव और रमाकांत गुप्ता रिट याचिका में उत्तरवादी के रूप में श्रृंखला में नहीं हैं, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि उत्तरवादी 1 से 12 के विरुद्ध उन व्यक्तियों की पात्रता मानदंडों के सत्यापन में उनके द्वारा अपनाए गए तरीके और विधि के संबंध में आरोप लगाए गए हैं। यह ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तरवादी 1 से 12 ने याचिकाकर्तागण के जवाब के कंडिका 6 में लगाए गए आरोपों से इनकार नहीं किया है। इसी तरह, अतिरिक्त जवाबदावे के अधिकांश कंडिका में दिए गए बचाव पूरी तरह से असमर्थनीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) उत्तरवादीगण 1 से 12 द्वारा की गई जांच में एक गंभीर त्रुटि पर इस स्तर में भी ध्यान देना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों से किसी के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह उत्तरवादीगण 1 से 12 को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, सूचनाओं और विवरणों की जांच करने के लिए हर संभव उचित कदम उठाएं, ताकि वे स्वयं संतुष्ट हो सकें कि क्या उनके पास निर्धारित पात्रताएं और शर्तें हैं। लेकिन, अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 12 ने याचिकाकर्तागण जैसे आक्षेपकर्ताओं पर यह साबित करने का भार डाल दिया कि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों के पास निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 12 द्वारा यह मांग करना वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आक्षेपकर्ताओं को साक्ष्य प्रस्तुत करके नकारात्मक तथ्य साबित करने चाहिए। यदि आपत्ति यह है कि अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक किसी विशेष स्थान का निवासी नहीं है, तो आक्षेपकर्ता उस तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य कैसे प्रस्तुत कर सकता है। यह छानबीन समिति या जांच अधिकारी का कार्य है कि वह यह पता लगाए कि आवेदक आवेदन में उसके द्वारा दिए गए पते पर रह रहा है या नहीं। सांविधिक प्राधिकारीयों पर डाले गये उत्तरदायित्व/कर्तव्य दुर्भाग्य से आक्षेपकर्ताओं पर डालने की कोशिश की गई और इस तरह उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने जांच में बहुत गंभीर त्रुटि की है जिससे वह दूषित हो गई है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रायगढ़ जिले के संबंध में, याचिकाकर्ता क्रमांक 3 ने जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी कि एक अभय सिंह पिता लक्ष्मी सिंह जिसे समूह/दुकान 'गोदाम' के लिए चुना गया है, लेकिन उक्त क्षेत्र में अभय सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तीसरे उत्तरवादी के अनुसार अभय सिंह एक फर्जी नाम है। उस आपत्ति के साथ, तीसरे याचिकाकर्ता ने अन्य फर्जी व्यक्तियों का विवरण देते हुए एक चार्ट भी संलग्न किया। तीसरे याचिकाकर्ता के उपरोक्त पत्र के जवाब में, दिनांक 26.05.2005 को जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ के कार्यालय ने तीसरे याचिकाकर्ता व अन्य को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और उन्हें दिनांक 31/05/2005 को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जब वह पत्र तीसरे याचिकाकर्ता को प्राप्त हुआ तो जिला आबकारी अधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि **अशोक लंका एवं एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य**[1] (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आबकारी अधिकारियों को आवश्यक जांच करने के बाद अनुज्ञप्ति के लिए आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करनी है और उनसे नकारात्मक तथ्य साबित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उनके अनुसार, दिनांक 31/05/2005 को जब तीसरा याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ, तो उसे जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ द्वारा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एक टाइप किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जो तीसरे याचिकाकर्ता की आपत्ति प्राप्त होने के बाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पहले से ही तैयार किया गया था। इस तरह से तैयार किए गए कथन को देखने से कोई भी यह मान लेगा कि ऐसा कथन जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ द्वारा स्वयं तैयार किया गया था और याचिकाकर्ता क्रमांक 3 के हस्ताक्षर बिंदीदार रेखा पर प्राप्त किए गए थे। याचिकाकर्ता क्रमांक 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति को ऐसे कथन के आधार पर खारिज कर दिया गया है। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि न केवल याचिकाकर्ता क्रमांक 3 को उसके द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था बल्कि याचिकाकर्ता क्रमांक 4 और अन्य आक्षेपकर्ताओं के प्रकरण में भी इसी तरह की पद्धति का पालन किया गया था। दिनांक 26.05.2005 को, याचिकाकर्ता क्रमांक 4 आक्षेपकर्ता को अनुलग्नक–पी/13 के तहत दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए कहा गया था और उपरोक्त पत्र के जवाब में, याचिकाकर्ता क्रमांक 4 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें नकारात्मक तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहने के बजाय प्राधिकारी से उपयुक्त जांच करने का अनुरोध किया। यहां भी, दिनांक 31.05.2005 को जब याचिकाकर्ता क्रमांक 4 प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, तो पहले से तैयार कथन पर उसका हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(24) याचिकाकर्तागण ने अनुलग्नक–पी/33 के रूप में चिह्नित एक विवरण प्रस्तुत किया है, यह दिखाने के लिए कि किस तरह से अनुज्ञप्ति जारी किए गए हैं। यह दर्शाता है कि अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एक ही पता दिया गया है। उदाहरण के लिए, पता 15/262, चांदनीपारा, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा में, रायगढ़, सरगुजा, महासमुंद और बिलासपुर के पांच अनुज्ञप्तिधारी हैं। हमें उदाहरणों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी बातें बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर जिले के प्रकरण में भी देखी जा सकती हैं। याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक–पी/34 के रूप में एक और विवरण भी प्रस्तुत किया है, जो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या का अधूरा पता दर्शाता है। इस विवरण में, तथाकथित अनुज्ञप्तिधारी अरविंद, जिसे समूह क्रमांक 5 (सहदेवपाली) रायगढ़ जिले की अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, ने अपना पता रायपुर (छत्तीसगढ़) का निवासी बताया है उत्तरवादी अधिकारियों के अनुसार, यह पता पर्याप्त है और इसीलिए उन्होंने अरविंद के निवास और नैतिक चरित्र, आपराधिक पृष्टभूमि के विषय में उचित जांच करना उपयुक्त नहीं समझा। उसी विवरण में, क्रम संख्या 5 में, श्री ओंकार दास को समूह क्रमांक 7 के लिए अनुज्ञप्ति दिया गया है और उन्हें साजा का निवासी बताया गया है, जो एक विधानसभा क्षेत्र है और उस निर्वाचन क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उत्तरवादी अधिकारियों के अनुसार वह पता भी पर्याप्त है।

याचिकाकर्तागण ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं और हमें निर्णय को बोझिल बनाने के लिए ऐसे उदाहरणों को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(25) उपर्युक्त तथ्य–खोज के आधार पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि **अशोक लंका और एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य**[1] (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 49 और 50 में नियमों के नियम 9 और नियम 11 की आज्ञापक आवश्यकताओं पर विस्तार से विचार किया है और उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 12 द्वारा अनुज्ञप्ति देने में अपनाए गए तरीके और विधि ने उत्तरवादीगण – संविधिक अधिकारियों के आचरण की निंदा की है। निर्णय के कंडिका 72 में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा है कि चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत विवरण की विवेचना करते हुए, निर्णय के कंडिका 17 में अभिनिर्धारित किया है कि विवरण के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न समुदायों से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों ने एक ही पता दिखाते हुए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किए थे और यहां तक कि एक ही नाम वाले व्यक्तियों ने एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 75 में जो टिप्पणी की है, वह ध्यान देने योग्य है, जो इस प्रकार है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "75. यद्यपि हम उक्त विवाद्यक पर अंतिम मुहर लगाने का आशय नहीं रखते हैं, लेकिन हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि संविधिक पदाधिकारियों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, चयन प्रक्रिया के संबंध में अभ्यर्थियों की पात्रता के विषय में जांच की पूरी प्रक्रिया को चयन समिति द्वारा फिर से शुरू किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, यह न्यायालय बाद की घटनाओं पर विचार करने का हकदार है ताकि पक्षकारों को पूरा न्याय मिल सके। (देखें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारत और एक अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य (2005 (1) स्केल 121)। जब इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया तो यह अपेक्षा की गई थी कि सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा। भले ही नियम 9 को निर्देशात्मक माना जाता है, लेकिन इसका पर्याप्त अनुपालन आवश्यक था। एक आज्ञापक संविधि का सख्ती से अनुपालन किये जाने की आवश्यकता होती है जबकि एक निर्देशात्मक विधि का सारभूत अनुपालन किये जाने की आवश्यकता होती है। भले ही कोई विधि निर्दिशात्कम हो, राज्य यह नहीं कह सकता कि उसमें निहित आवश्यकताओं में इसके अनुपालन की

परिकल्पना नहीं की गई है। राज्य के अधिकारी यह अभिवाक् नहीं दे सकते कि वे आवेदन में निहित दोषों को भी नहीं देखा जाएगा। वे इस पूर्वधारणा पर आगे नहीं बढ़ सकते थे, जिसके लिए कोई विधिक मंजूरी नहीं है, कि आवेदन की सामग्री सही होगी। समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सदस्य–सचिव द्वारा तैयार की जाने वाली कोई सारांश प्रतिवेदन तैयार नहीं की गई प्रतीत होती है। नियम यह मानते हैं कि प्रत्येक आवेदन की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। केवल इस तथ्य से कि बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य स्वयं करोड़ों रुपए प्राप्त करने में सक्षम हो गया है, राज्य को सांविधिक आवश्यकताओं से छूट देने का अधिकार नहीं है। आवेदन शुल्क का उपयोग राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना था, बल्कि इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक शुल्क को पूरा करने के लिए किया जाना था। आवेदन शुल्क को कर के बराबर नहीं माना जा सकता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(26) सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों के संदर्भ में, हमें यह प्रश्न तय करना है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 ने निर्णय के कंडिका 92 में निहित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती और ईमानदारी से पालन किया है। निर्णय के कंडिका 49 और 50 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित और सुविचारित नियम–स्थिति, स्पष्ट रूप से, यह दर्शाती है कि उत्तरवादी संविधिक प्राधिकारी एक आवेदक की पात्रता शर्तों की जांच करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। इस प्रकरण को देखते हुए, उत्तरवादी प्राधिकारियों की ओर से याचिकाकर्तागण और अन्य आक्षेपकर्ताओं से नकारात्मकता साबित करने की मांग करना पूरी तरह से अनुचित था। ऐसा नहीं है कि संविधिक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने के लिए स्वतंत्र हैं, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसा व्यक्ति पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं, अगर ऐसे अनुदान पर किसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। संविधिक शक्ति का दाता होने के नाते संविधिक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य की उदारता को सर्वोत्तम सार्वजनिक हित में और विधि द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों और प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। आज्ञापक प्रावधानों से अलग हटकर, दानकर्ता की संविधिक शक्ति के कार्य को प्रभावित करता है। हम इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अशोक लंका और अन्य बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य[1] (पूर्वोक्त) के निर्णय के पैरा 92 में जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, और उन्होंने नियमों के नियम 9 और 11 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए,

आंखों में धूल झोंकने के तरीके अपनाकर और अपारदर्शी जांच करके अनुज्ञप्ति प्रदान किए हैं। इस प्रकरण को देखते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 के पक्ष में दिए गए अनुज्ञप्ति को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

(27) हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारे समक्ष प्रस्तुत कुछ बिंदुओं पर विचार करने और निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि, क्या नियमों के संशोधित नियम 9 (3) में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक के परिवार के सदस्यों के नैतिक चरित्र या आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास के सत्यापन की आवश्यकता होगी, चाहे कलेक्टर में अतिरिक्त कलेक्टर सम्मिलित हों।

(28) इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या नियम 9 (3) का हिंदी संस्करण अंग्रेजी संस्करण पर अभिभावी होना चाहिए या इसके विपरीत होना चाहिए। यह बताना पर्याप्त है कि **अशोक लंका एवं एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य**[1]–(पूर्वोक्त)में निर्णय के कंडिका 92 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 अधिकारियों को बाध्य करते हैं। यदि उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 के पास यह सोचने का कोई कारण होता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश विधि के अनुसार नहीं थे, तो वे संशोधन और/या स्पष्टीकरण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाते। जैसा भी हो, यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि जहां विधि भारतीय भाषा में पारित किए जाते हैं और अंग्रेजी में अनुवादित होते हैं, अगर दोनों संस्करणों के बीच कोई विसंगति है तो आधिकारिक संस्करण अंग्रेजी होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर पीठ) की एक खंडपीठ ने **मेसर्स गोविंदराम रामप्रसाद बनाम कर निर्धारण अधिकारी (विक्रय कर) एवं एक अन्य**[5] (पूर्वोक्त) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 348 और 349 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहां विधि किसी भारतीय भाषा में पारित किए जाते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद किए जाते हैं, वहां आधिकारिक संस्करण अंग्रेजी ही होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ **जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (III) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद व अन्य**[6] (पूर्वोक्त) ने राय दी है कि यदि कोई विधेयक या अधिनियम आधिकारिक राजपत्र में हिंदी के साथ–साथ अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता है तो दोनों संस्करण अधिकृत होते हैं, लेकिन यदि दोनों संस्करणों में कोई विसंगति है तो अंग्रेजी संस्करण को ही आधिकारिक माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अनुच्छेद 348 के खंड (3) और अनुच्छेद 200 व 210 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद ऐसा अभिनिर्धारित किया है।

पूर्ण पीठ का तर्क इस प्रकार है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"चूँकि अनुच्छेद 348 (3) के अंतर्गत अनुवाद तैयार करने का कार्य राज्यपाल के उच्च प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया है, इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि अनुवाद मूल अधिनियम के अनुरूप न हो। इसलिए, सामान्यतः दोनों संस्करण एक ही बात बताते हैं। तथापि, संविधान सभा ने सभी मानव उत्पादों और मानव संस्थाओं में प्रचलित अपूर्णता को देखते हुए, बहुत सावधानी के साथ यह उचित समझा कि यदि कभी भी अनुवादित अंग्रेजी संस्करण और राज्य द्वारा निर्धारित भाषा में मूल संस्करण के बीच कोई अंतर हो, तो पूर्ववर्ती को ही प्रामाणिक पाठ माना जाएगा।

मेरे लिए उन कारणों की खोज करना आवश्यक नहीं है जिनके कारण संविधान सभा ने ऐसा प्रावधान किया, लेकिन सबसे स्पष्ट कारण यह प्रतीत होता है कि भारत राज्यों का एक संघ बनने जा रहा था जिसमें विभिन्न भाषाओं का उपयोग किया जाता था और राष्ट्रीय एकता और सुविधा दोनों कारणों से अखिल भारत और अंतर–राज्यीय उद्देश्यों के लिए एक सामान्य भाषा होना आवश्यक था। कनाडा के विपरीत, जहाँ संसद और क्यूबी के संसद द्वारा विधेयक अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा (फ्रेंच) में पारित किए जाते हैं और दोनों ही आधिकारिक होते हैं, हमने भारत में कुछ हद तक आयरिश उदाहरण का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जहाँ अधिनियम आयरिश या अंग्रेजी भाषा में पारित किए जाते हैं, लेकिन आयरलैंड के संविधान की धारा 5 के आधार पर उन्हें अंग्रेजी या आयरिश भाषा में अनुवादित किया जाता है, जिसमें वे मूल रूप से पारित नहीं किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यह ध्यान देने योग्य है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है, हालांकि बाद के प्रकरण में राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी अन्य भाषा के उपयोग का निर्देश दे सकते हैं। विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों, आदेशों या उप–नियमों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष व्याख्या के लिए आना पड़ता है। यदि अंग्रेजी अनुवाद का कोई प्रावधान नहीं होता और इसे एक आधिकारिक पाठ के रूप में माना जाता, तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में कठिनाई होती, क्योंकि बंगाल से विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश आदि बंगाली में, मद्रास से तमिल में, आंध्र से तेलुगु में, गुजरात से गुजराती में, महाराष्ट्र से मराठी में और उत्तर प्रदेश से हिंदी में होते। इस

कठिनाई और असुविधा से बचने के लिए और राष्ट्रीय एकरूपता लाने के लिए, यह प्रावधान किया गया था कि संसद द्वारा विधि द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने तक अंग्रेजी में एक आधिकारिक पाठ होना चाहिए। मैंने जो ऊपर कहा है, उससे यह स्पष्ट है कि किसी विधेयक, अधिनियम आदि का हिंदी संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद दोनों ही मान्य हैं। दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। केवल दो संस्करणों के बीच टकराव या मतभेद की स्थिति में ही प्रामाणिक पाठ का प्रश्न उठता है।

मैं जो दृष्टिकोण रख रहा हूँ, उसका समर्थन इस न्यायालय के हाजी लाल मोहम्मद बीरी वर्क्स बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर, एआईआर 1959 एएलएल 208: (1959) 10 एसटीसी 424 के प्रकरण में खण्ड पीठ के निर्णय से होता है, तथा जेके जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1961) 12 एसटीसी 429 पृष्ठ 435 पर: (एआईआर 1961 एससी 1534 पृष्ठ 1538 पर) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णय से होता है, जहाँ ऊपर उल्लिखित इलाहाबाद के प्रकरण को अनुमोदित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण में विधिमान्यकरण अधिनियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया था। यह प्रश्न उठा कि क्या हिंदी संस्करण का उपयोग अंग्रेजी संस्करण में अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है, और माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित रुप से अवधारित किया:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"यह भी ध्यान देने योग्य है कि विधिमान्यकरण अधिनियम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित हुआ था और दोनों ही अधिकृत संस्करण थे। हिन्दी संस्करण में प्रयुक्त शब्दों से यह बात बिना किसी संदेह के स्पष्ट हो जाती है कि 'इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पहले जिस रूप में वे लागू थे, वे शब्द 'धाराओं' को योग्य बनाते हैं, न कि 'अधिसूचनाओं' को। यह विचार एआईआर 1959 एएलएल 208 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा दोनों संस्करणों की तुलना करने पर व्यक्त किया गया है और हम इससे सहमत हैं।"

इसके अलावा, **श्रीमती राम रति और अन्य बनाम ग्राम समाज, जेहवा और अन्य**[7] (पूर्वोक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने **जसवंत शुगर मिल्स लिमिटेड, मेरठ बनाम पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (III) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और अन्य**[8] (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उस उच्च न्यायालय की

पूर्ण पीठ के निर्णय पर विचार करते हुए कहा कि दो संस्करणों के बीच मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ हिंदी संस्करण पर अभिभावी होगा। हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ और पांच न्यायाधीशों की पीठ के उपरोक्त विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं। **सत्यभान सिंह जादौन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य**[4] (पूर्वोक्त) और **राम लखन रावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[4] (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो निर्णय, जिन पर प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया था, उसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) और/या अनुच्छेद 200 और 210 के प्रावधानों या **मेसर्स गोविंदराम रामप्रसाद बनाम निर्धारण प्राधिकरण (विक्रय कर) और एक अन्य**[5] (पूर्वोक्त) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बाध्यकारी निर्णय का संदर्भ नहीं लिया है या उन पर विचार नहीं किया है। प्रकरण के उस दृष्टिकोण से, विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त दो निर्णय अनवधानुता के कारण उत्तम एवं विधि सम्मत नहीं हैं। इसलिए, हम मानते हैं कि यदि नियम 9 के उप–नियम (3) के हिंदी पाठ और अंग्रेजी पाठ के बीच कोई मतभेद है, तो अंग्रेजी पाठ हिंदी संस्करण पर अभिभावी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(29) उत्तरवादी क्रमांक 67, 76, 77, 78, 81 और 89 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा और उत्तरवादी क्रमांक 23, 24, 25, 26 और 48 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी. तामस्कर द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन को केवल तभी ध्यान दिया जाना चाहिए जब उन्हें खारिज किया जाए। पक्षकारों को तकनीकी खामियों या यातनाओं के आधार पर नहीं बल्कि ठोस आधारों पर जीतना या हारना चाहिए। केवल इसलिए कि प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा शपथ–पत्र में, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि रिट याचिका में कौन से कथन व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित हैं और कौन से कथन अभिलेख और सूचना पर आधारित हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिट याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि श्री वी.जी. तामस्कर ने तर्क दिया है। इसी तरह, श्री बी.पी. शर्मा का तर्क कि वर्तमान रिट याचिका पोषणीय नहीं है, हमारे स्वीकार करने योग्य नहीं है। **अशोक लंका और एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य**[1] (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय को समान रूप से बाध्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी है और जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी विशेष प्रकरण में निर्धारित विधि लागू होने वाली विधि है, उच्च न्यायालय किसी भी कथित रूप से परस्पर विरोधी निर्णय पर विचार या भरोसा नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का सामान्य सिद्धांत

प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो उस आदेश के पक्षकार नहीं थे। दूसरे, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन यह न्यायालय की शक्ति के भीतर है कि वह **अशोक लंका और एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य**[1] (पूर्वोक्त) में निर्णय के कंडिका 92 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 संविधिक अधिकारियों पर डाले गए सार्वजनिक विधि दायित्वों को लागू करे। तीसरे, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं निर्णय के कंडिका 93 में याचिकाकर्तागण और उसके समक्ष उत्तरवादीगण को इस न्यायालय के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी है, जिसका अर्थ है कि वे समुचित आदेश के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

(30) इस प्रकरण से बाहर आने से पहले, प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण क्रमांक 13 से 89 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई भावुक अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण को दिए गए अनुज्ञप्ति की अवधि दिनांक 31.03.2006 को समाप्त हो जाएगी और इसलिए, अनुज्ञप्ति के इस अंतिम चरण में, अनुज्ञप्ति को बातिल करना उचित नहीं है, भले ही बातिल करने का प्रकरण बनता हो। प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुज्ञप्ति दिए जाने के बाद किसी भी अनुज्ञप्तिधारक ने सरकारी बकाया के भुगतान के प्रकरण में कोई चूक नहीं की है। प्रतियोगी निजी उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन हमें स्वीकार्य नहीं होगा। जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त उत्तरवादीगण के पक्ष में अनुज्ञप्ति प्रदान करना न केवल नियमों के आज्ञापक नियम 9 और 11 के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण है, बल्कि अशोक लंका एवं एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य[1] (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के कंडिका 92 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के कारण भी दोषपूर्ण है, तो हम उत्तरवादीगण 1 से 12 की आपत्तिपूर्ण कार्यवाही पर अपनी स्वीकृति की मुहर नहीं लगा सकते। हमने ऊपर उन परिस्थितियों पर ध्यान दिया है, जिसके कारण इस रिट याचिका पर पहले की तिथि में सुनवाई में देरी हुई, लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्तागण की ओर से इस न्यायालय में याचिका दायर करने में याचिकाकर्ताओं की ओर से बिल्कुल भी देरी नहीं हुई। उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 जो उत्तरवादीगण 1 से 12 के अवैध कृत्यों के लाभार्थी हैं, उन्हें उत्तरवादीगण 1 से 12 के अनुचित कार्यों का लाभ तब तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(31) परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों से, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं तथा आबकारी वर्ष 2005–2006 के दौरान उत्तरवादी क्रमांक 13 से 89 के पक्ष में अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त करते हैं। उत्तरवादी क्रमांक 1 से 12 को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए चयन विधि तथा **अशोक लंका एवं एक अन्य बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य**[1] (पूर्वोक्त) के प्रकरण में जारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार करें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार, पक्षकारों को अपना व्यय स्वयं वहन करना होगा ।

सही/–
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ......................... Kumudini Tirkey, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur